

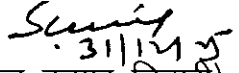
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-7 / स्था0-04-30 / 2025सा0प्र0...../ 28 / पटना-15 दिनांक 02.01.26

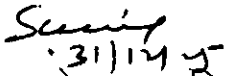
महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-7 / स्था0-04-30 / 2025सा0प्र0 15583 दिनांक 22.08.2025 के सूची क्र0सं0-8 पर अंकित श्री संकल्प राज, परीक्ष्यमान सिविल जज (जू.डि.), खगड़िया का स्तम्भ-2 में नियुक्ति की तिथि 17.02.2025 के स्थान पर तिथि 24.02.2025 तथा स्तम्भ-5 में वेतन वृद्धि की तिथि 17.02.2025 के स्थान पर तिथि 24.02.2025 पढ़ा जाय।

विभागीय पत्र संख्या-7 / स्था0-04-30 / 2025सा0प्र0 15583 दिनांक 22.08.2025 में अंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे। उक्त पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7 / स्था0-04-30 / 2025सा0प्र0...../ 28 / पटना-15, दिनांक 02.01.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 के प्रसंग में/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/श्री संकल्प राज, परीक्ष्यमान सिविल जज (जू.डि.), खगड़िया तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-7/स्था0-04-54/2025सा0प्र0.....135...../पटना-15 दिनांक 02.01.26

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-7/स्था0-04-54/2025सा0प्र0 संख्या-22734 दिनांक 08.12.2025 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है:-

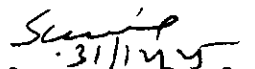
सूची क्र0सं0-12 पर अंकित श्री प्रमोद कुमार यादव, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बेतिया, पश्चिम चम्पारण की नियुक्ति की तिथि 05.10.2007 के स्थान पर 13.08.2018;

सूची क्र0सं0-14 पर अंकित सुश्री पुष्पा कुमारी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बेतिया, पश्चिम चम्पारण की नियुक्ति की तिथि 27.08.2015 के स्थान पर 25.10.2021;

सूची क्र0सं0-15 पर अंकित श्री प्रतीक आनन्द द्विवेदी, अपर सी.जे.एम.-I, बेतिया, पश्चिम चम्पारण की नियुक्ति की तिथि 23.03.2018 के स्थान पर 28.08.2015 तथा

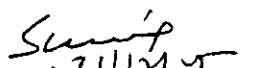
सूची क्र0सं0-22 पर अंकित श्री दिव्येश कुमार, जे.एम.एफ.सी-सह-अपर सिविल जज, हिलसा, नालन्दा की नियुक्ति की तिथि 24.01.2020 के स्थान पर 14.02.2023 पढ़ा जाय।

विभागीय पत्र संख्या-7/स्था0-04-54/2025सा0प्र0 संख्या-22734 दिनांक 08.12.2025 में अंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे। उक्त पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।


(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-7/स्था0-04-54/2025सा0प्र0.....135...../पटना-15, दिनांक 02.01.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 के प्रसंग में/सभी संबंधित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के माध्यम से तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

शुद्धि पत्र

संख्या-7 / स्था0-04-52 / 2025सा0प्र0..... / पटना-15 दिनांक.....

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 द्वारा संसूचित अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्र संख्या-7 / स्था0-04-31 / 2025सा0प्र0 21586 दिनांक 20.11.2025 के सूची क्र0सं0-16 पर अंकित श्री गौतम, सिविल जज (वरीय कोटि), भोजपुर, आरा के स्थान पर श्री गौतम, सिविल जज (कनीय कोटि), भोजपुर, आरा पढ़ा जाय।

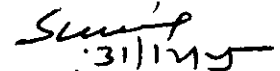
विभागीय पत्र संख्या-7 / स्था0-04-31 / 2025सा0प्र0 21586 दिनांक 20.11.2025 में अंकित शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे। उक्त पत्र को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(सुनील कुमार तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक-7 / स्था0-04-52 / 2025सा0प्र0..... 136..... / पटना-15, दिनांक 02.01.26

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक-103605 दिनांक 16.12.2025 के प्रसंग में/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोजपुर, आरा/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/श्री गौतम, सिविल जज (कनीय कोटि), भोजपुर, आरा तथा आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव।